स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-303/16 श्र0सं0 135

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/बेगुसराय ।
सहायक श्रमायुक्त,छपरा/पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार/मुंगेर/डालमियानगर(रोहतास)/सहरसा/बेतिया।
श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01/जहानाबाद/समस्तीपुर-01/औरंगाबाद/नवादा/भोजपुर(आरा)-01/मोतिहारी-01/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01/सीवान-01/खगड़िया/मधुबनी-01/जमुई/वैशाली(हाजीपुर)-01/गोपालगंज/किशनगंज/अरवल/बांका/शेखपुरा/कैमुर/शिवहर/अररिया-01/मधेपुरा/बक्सर/लखीसराय/सुपौल/सीतामढ़ी-01 ।

पटना, दिनांकः- 11-1-17

विषयः- **(क)** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01श्रम-103 सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष- 0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230011030101) एवं **(ख)** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230017890101) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2139 दिनांक-17.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में दूसरी बार एक दिन का प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-I के अनुसार किया जाता है ।

2. Ease of Doing Business के प्रसंग में श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत नई व्यवस्था के तहत ऑन लाईन निबंधन/नवीकरण, सी०एल०टी०एस०, संशोधित प्रवासी मजदूर अधिनियम, संशोधित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना एवं संशोधित बीड़ी मजदूर गृह निर्माण योजना इत्यादि की जानकारी आम लोगों को दिया जाना आवश्यक है ।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व में आयोजित एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर के आयोजन स्थल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर, जहाँ मजदूर की संख्या अधिक हो, या महत्वपूर्ण अनुमंडल में शिविर का आयोजन किया जाय ।

4. उक्त **प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 31 जनवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर ली जाय।

5. इस शिविर का नाम ''श्रम अधिकार दिवस'' होगा ।

6. यह आवंटन **व्यय शीर्ष (क)** के अन्तर्गत **कान्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार इकाई 2002** में **₹** 18,03,080/- (रूपये अठारह लाख तीन हजार अस्सी) तथा **(ख)** के अन्तर्गत **कान्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार इकाई 2002** में **₹** 7,71,950/-(रूपये सात लाख एकहत्तर हजार नौ सौ पचास) मात्र का है। **इस प्रकार (क)+(ख)** के अन्तर्गत **कुल आवंटित राशि ₹ 25,75,030/- (रूपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार तीस) मात्र** वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।